सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-1444/JH/2/2023-APCR   दिनांक : 08.10.2024

सेवा मे,

1 **श्री राहुल कुमार सिन्हा**
उपायुक्त,
जिला -रांची,
कलेक्टर कार्यालय,
ब्लॉक-ए, कचहरी चौक,
जिला -रांची, झारखंड -834001
Email Id: dc-ran@nic.in

2 **श्री चंदन कुमार सिन्हा**
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला -रांची,
एसएसपी कार्यालय,
जिला-रांची, झारखंड -834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: जमीन पर अवैध कब्ज़ा करने एवं मारने की धमकी देने के सम्बंध में श्री आनंद कुजूर, जिला रांची का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2024 को राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड) मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्री आनंद कुजूर,
पिता -श्री दिलीप कुमार कुजूर,
बी -36, एम आई जी, हरमू हाउसिंग कॉलोनी
थाना-अरगोड़ा जिला-रांची झारखण्ड -834002,
Mobile No:7766832435

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

(i) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(ii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं NCST/ATY-1444/JH/2/2023-APCR

आनंद कुजूर, हरमू हाउसिंग कॉलोनी थाना-अरगोड़ा जिला-रांची झारखण्ड-की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक . 27.08 2024.को राजकीय अतिथिशाला मोहरबादी, रांची झारखण्ड में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

****

सुनवाई की तिथि : 28.08.2024 at 01:00 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी परिशिष्ट :सूची संलग्न है

****

आयोग को श्री आनंद कुजूर, हरमू हाउसिंग कॉलोनी थाना-अरगोड़ा जिला-रांची झारखण्ड- 834002 से शिकायत प्राप्त हुआ है जिसमें उनका कहना है कि शिकायतकर्ता की यह जमीन उन्हे खतियानी मालिकों को सहयोग करने के एवज में मिला थी किंतु उक्त जमीन पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगो द्वारा कब्जा करने के उद्देश्य से चारदीवारी बनाई जा रही है जसका विरोध करने वो उक्त जगह पर दिनांक 27.08.2023 को वहां पर गयें जहां पर उनको श्री जयश्री घोष एवं श्री चरण खेवट से काम रोकने का अनुरोध किया तो वो कम को नहीं रोके और बोले हम यहा श्री मोहम्मद जहांगीर के आदेश से कार्य कर रहें है। इस बाबत एक फोन से शिकायतकर्ता की बात कराई गयी जिसमें बात करने वाले ने धमकी के लिहाज से बोला जब हम जेल से बात कर सकतें हैं तो तुम्हे गाड भी सकते है, अन्य जाति सूचक गाली गलौज भी की। इसी क्रम में शिकायतकर्ता एक दिन बाहर निकला हुआ था तो इन्ही लोगों द्वारा इसपर हमला भी किया गया जिसमें वो भागने में सफल रहें किन्तु उनके गाड़ी में भारी चोट आई। विदित हो शिकायतकर्ता का कहना है कि इसमें कोई भी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गयी है.

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2 आयोग ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त रांची को दिनांक 29/09/2023 को नोटिस भेजा गया था और 15दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी थी।

3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची की ओर से आयोग में जवाब प्राप्त हुआ था जो संतोषप्रद प्रतीत नही हुआ।

4 इस सम्बंध में आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची के साथ राजकीय अतिथिशाला मोहरबादी, रांची झारखण्डमें सुनवाई तय की गयी।

5 वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक ने आयोग को बताया की उक्त जमीन का शिकायतकर्ता के साथ इकरानामा किया जाने के साथ साथ कई अन्य लोगों के नाम से भी कर दिया गया है। जिस कारण उक्त जमीन इसी कारण से बहुत दिनों से विवादित भी चल रही है। तथा जमीन के कई उत्तराधिकारी है और सभी उत्तराधिकारी पूरी जमीन पर अधिकार का दावा करते हैं और कुछ कई लोगों से इकरारनामा कर चुके हैं।

6 इस पर प्रार्थी ने बताया की जमीन जिनकी है वो भी उनके साथ आज सुनवाई में आई हुई है तथा मुझे इस मामले के चलते रोज जान माल की धमकियाँ दी जा रही जिससे में अत्यंत प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ।

<u>प्रकरण में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुषंशाए की गयी-:</u>

- मामले में पुलिस विभाग प्रार्थी की सुरक्षा का ध्यान रखे।
- उपायुक्त रांची इस मामले की जांच करेंगे की भूमि की वर्तमान स्थिति व् उसके स्वामित्व की स्थिति क्या है ?
- मामले में पुलिस विभाग द्वारा एकबार पुन जांच किया जाए।
- मामले उपायुक्त जिला रांची प्रार्थिनियों को विधवा आवास के तहत आवास दिलवाने हेतु कार्य करेंगे।
- इस मामले में साथ ही आयोग ने यह भी महसूस किया की स्थानीय पुलिस का रवैया आमजन के प्रति उदार नही है जोकि अत्यंत चिंताजनक है जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विचार कर स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है।

मामले की जांच कर 15 दिवस में रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए

आशा लकड़ा
12/06/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-1444/JH/2/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri Shubhashis Rasik Soren
Legal Consultant

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi and Officers from O/o the Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Shri Rahul Kumar Sinha, Deputy Commissioner, Ranchi

Shri Chandan Kumar Sinha, Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Petitioners

Shri Anand Kujur

Ms Nirsi Devi